निर्विवाद विक्रय–पत्र

1. प्रथम पक्ष का नाम एवं पूरा पता :–नाम–...

पिता / पति–..ग्राम / मुहल्ला–...

वार्ड नं0–..थाना–..पंचायत–..

अंचल–..पोस्ट–..जिला–..

(बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय।

2. द्वितीय पक्ष का नाम एवं पूरा पता :–
श्री...   अंचलाधिकारी...

अंचल, जिला–...वास्ते बिहार सरकार।

3. तृतीय पक्ष का नाम एवं पूरा पता :–नाम–...
पिता / पति–..ग्राम / मुहल्ला–...

वार्ड नं0–..थाना–..पंचायत–..

अंचल–...पोस्ट–..जिला–..(बिहार),

राष्ट्रीयता–भारतीय।

4. लेख्य प्रकार :–निर्विवाद विक्रय–पत्र।

5. प्रतिफल की राशि जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान किया गया :–

मो0– ..../–रू0 (शब्दों में) ....
रूपया मात्र।

6. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण जिसे प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बेचा गया तथा द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष को स्थायी बन्दोबस्त किया गया :–

मौजा–..................................परगना–..................................सर्वे रेवेन्यू थाना–............................अंचल–..............................

जिला–.............................जिसका थाना नं0–.......................तौजी नं0–..........................खाता नं0–................................

खेसरा नं0–...................................। यह सम्पत्ति अवर–निबंधन कार्यालय...तथा जिला निबंधन

कार्यालय...के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो0–...

अलावे सेस, बिहार सरकार को अंचलाधिकारी,..अंचल, के माध्यम से भुगतान किया जाता है,

जिसका नापी एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

नापी

उत्तर–
दक्षिण–
पूरब –
पश्चिम–

चौहद्दी

उत्तर –
दक्षिण–
पूरब –
पश्चिम–

उपर्युक्त भू–खंड का स्केच मैप इस दस्तावेज के साथ अनुलग्न है।

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष को दस्तावेज सं0–..............................वर्ष–.. जो निबंधन कार्यालय...में निबंधित हुआ, से प्राप्त है/उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति है, जिसपर प्रथम पक्ष का वर्त्तमान समय तक निर्विवाद कब्जा है एवं सरकार के राजस्व कार्यालय के रजिस्टर–II में प्रथम पक्ष के नाम से अद्यतन नाम दर्ज है।

तृतीय पक्ष, जो सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवार के सदस्य हैं, को बिहार सरकार के संकल्प सं0–...............................दिनांक–..................................से निर्गत बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय की नीति, 2011 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 3 (तीन) डिसमिल जमीन स्थायी बन्दोबस्त करने हेतु जमीन की आवश्यकता थी। राज्य सरकार की ओर से द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से ..../रू0 में जमीन खरीदने की बात तय होने के उपरांत प्रथम पक्ष को प्रतिफल की राशि द्वितीय पक्ष द्वारा चेक/ड्राफ्ट सं0–....................................... ....दिनांक–...जो..में भुगतेय है, भुगतान कर दिया गया है। अब द्वितीय पक्ष से विक्रय राशि प्राप्त कर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष, बिहार सरकार के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करना आवश्यक समझा। इस उद्देश्य से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के नाम यह दस्तावेज निष्पादित कर दिया।

द्वितीय पक्ष को इस दस्तावेज द्वारा प्राप्त उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति तत्काल तृतीय पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा इस शर्त्त के साथ स्थायी बन्दोबस्त किया जाता है कि इस सम्पत्ति का उपयोग तृतीय पक्ष और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जायेगा। तृतीय पक्ष अथवा उनके उत्तराधिकारी अन्य किसी व्यक्ति के नाम बिक्री/दान या किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करेंगें।

तृतीय पक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम उपर्युक्त संपत्ति की की गयी बिक्री/दान या हस्तान्तरण कानूनन अवैध होगा।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वच्छ है। निबंधन के पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा तृतीय पक्ष के नाम से भूमि का नामांतरण कर दिया जाएगा।

अब प्रथम पक्ष का यह दायित्व होगा कि उनके या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे एवं तृतीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उनके या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इस सम्पत्ति का केवल निजी आवासीय उपयोग किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

यह दस्तावेज आज दिनांक–..को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के पक्ष में तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा तृतीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया गया ताकि प्रमाण रहे।

गवाहगण :–

1. **प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर एवं तारीख**

2. **द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर एवं तारीख**

तृतीय पक्ष का हस्ताक्षर एवं तारीख

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 68-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in